रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2680] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2014/ पौष 9, 1936
No. 2680] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2014/PAUSA 9, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3319(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की निम्नलिखित अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्यप्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों के निम्नलिखित खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपे हैं;

रा.रा. सं.	सेक्शन	कि.मी. से कि.मी. का खण्ड	का.आ.संख्या	तारीख
3	उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा–ग्वालियर	8.000–24.000	का. आ. 196 (अ)	06.03.2000
3	उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा उ.प्र /राजस्थान सीमा	24.000–30.885	का. आ. 1192 (अ)	03.12.2001
3	उ.प्र./राजस्थान सीमा–धौलपुर	30.885–41.000	का. आ. 1192 (अ)	03.12.2001
3	राजस्थान राज्य में आगरा–धौलपुर	41.000–51.000	का. आ. 196 (अ)	06.03.2000
3	उ.प्र./राजस्थान सीमा–धौलपुर–राजस्थान/ म.प्र. सीमा	51.000–60.000	का. आ. 465 (अ)	26.04.2002
3	मध्य प्रदेश राज्य में आगरा–ग्वालियर (मुरेना की ओर चम्बल सीमा)	60.000–70.000	का. आ. 196 (अ)	06.03.2000
3	मध्य प्रदेश राज्य में आगरा–ग्वालियर	70.000.103.000	का. आ. 1192 (अ)	03.12.2001
75	ग्वालियर से म.प्र./उ.प्र. सीमा	0.000–90.000	का. आ. 465 (अ)	26.04.2002
3	मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर–देवास–राउ वाया इन्दौर बाइपास	आगरा–इंदौर सेक्शन के 103. 000. कि.मी. से 610.000 कि. मी. तक आगरा में 0.000 कि. मी. और इन्दौर–मुम्बई सेक्शन के 0.000 कि.मी. से 12.600 कि.मी. तक	का. आ. 910 (अ)	21.04.2010

और यतः केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

भारत सरकार की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा 4 लेन के निम्नलिखित सेक्शनों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को प्राधिकृत किया थाः

खण्ड	सेक्शन	का.आ. सं.	तारीख
रा रा–3 का 8.000–51.000	उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में आगरा–धोलपुर	का.आ. 2842 (अ)	06.12.2012
रा रा–3 का 61.000–103.000	मध्य प्रदेश राज्य में मुरेना ग्वालियर	का.आ. 2843 (अ)	06.12.2012
रा रा–3 का 103.000 कि.मी. से शुरू करके रा रा–75 के 16.000 कि.मी. पर मिलन स्थल तक	मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर बाइपास	का.आ. 544 (अ)	06.03.2013

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) आधार पर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में रा रा–3 के 8.000 कि.मी. से 103.000 कि.मी. तक आगरा–ग्वालियर सेक्शन के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए और ग्वालियर बाइपास सेक्शन के लिए 0.000 कि.मी. (रारा–3 का विद्यमान 103.000 कि.मी.) से 42.033 कि. मी. (रारा–75 का विद्यमान 16 कि.मी.) तक (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त सेक्शन" संदर्भित किया गया है), 32.607 कि.मी. पर टोल प्लाजा के प्रचालन हेतु 11.04.2014 को प्राप्त बोलियों के लिए मैसर्स आगरा–ग्वालियर पाथवेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 76 माल रोड, महू–453441, मध्य प्रदेश, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ 28.10.2014 को करार किया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है);

अतः अब, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जो सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और जिन्हें सा.का.नि. 950 (अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15 (अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 1756 (अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा. का.नि. 778 (अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013 और सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014 द्वारा संशोधित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना संख्या का.आ. 2842 (अ), तारीख 06.12.2012, का.आ.सं. 2843 (अ), तारीख 06.12.2012, तथा का.आ.सं. 544 (अ) तारीख 06.03.2013 का अधिक्रमण करते हुए, सिवाए उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हैं अथवा करने से लोप करा दी गई हैं, उक्त खण्ड के अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि चार लेन के उक्त खण्ड के उपयेाग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, उक्त करार में यथा विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती हैः,

सारणी 1

क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
2	हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
3	बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
4	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
5	भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
6	बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, उपर्युक्त सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के 100% पर शोध्य और संदेय होगाः

क्रम संख्या	टोल प्लाजा का अवस्थान	चैनेज	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है			
			इस समय		पूरा करने के बाद	
			सड़क की लम्बाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं को छोडकर)	संरचनाओं की समकक्ष लम्बाई (ii)	सड़क की लम्बाई (60 मीटर से अधिक लम्बाई वाली संरचनाओं को छोडकर)	संरचनाओं की समकक्ष लम्बाई (ii)
1.	28.600 कि.मी. पर विद्यमान 28.600 कि.मी. रा.रा.3 पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्य में जिला आगरा में गांव जाजयु के पास	8.000 कि.मी. से 59.000 कि.मी. तक	42.682	3.180 (iii)	49.407	15.935 (iv)
2.	84.000 कि.मी. पर विद्यमान 84.500 कि.मी. रा.रा.3 पर मध्य प्रदेश राज्य में मुरेना जिले में चौंधा गांव के पास	59.000 कि.मी. से 103.000 कि. मी. तक	41.359	6.410 (v)	42.446	15.544 (vi)
3.	ग्वालियर बाइपास 32.607 कि. मी. पर विद्यमान 32.607 कि.मी.) मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर जिले में मेहरा गांव के पास	0.000 (रा.रा. 3 का विद्यमान 103.000 कि.मी.) से 42.033 कि.मी. तक (रा.रा.—75 का विद्यमान 16 कि.मी.)	0	4.268 (vii)	0	4.268 (vii)

IndiaCode

(i) रा.रा 3 के 51.000 कि.मी. से 61.000 कि.मी. तक के परियोजना के खण्ड को पूरा करने और उसे रियायतग्राही को सौंपने के बाद।

(ii) संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की) लम्बाई को समकक्ष कारक 10 से गुणा करके संरचना की समकक्ष लम्बाई प्राप्त की जाती है।

(iii) संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई >वाली) का ब्यौरा निम्नप्रकार हैः

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	लम्बाई (मीटर)
1.	चैनेज 17.400 पर	99.000
2.	चैनेज 32.600 पर	128.000
3.	चैनेज 25.800 पर	91.000
	कुल	**318.000**

(iv) (60 मीटर से अधिक की लम्बाई >वाली) संरचनाओं का ब्यौरा निम्नप्रकार हैः

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	लम्बाई (मीटर)
1.	चैनेज 17.400 पर	99.000
2.	चैनेज 25.800 पर	91.000
3.	चैनेज 32.600 पर	128.000
4.	चैनेज 52.145 पर	723.080
5.	चैनेज 54.520 पर	347.380
6.	चैनेज 58.315 पर	205.000
	कुल	**1593.500**

(v) संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई >वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	लम्बाई (मीटर)
1.	चैनेज 75.200 पर	136.000
2.	चैनेज 85.100 पर	265.000
3.	चैनेज 93.200 पर	80.000
4.	चैनेज 93.400 पर	160.000
	कुल	**641.000**

(vi) संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई >वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	लम्बाई (मीटर)
1.	चैनेज 59.095 पर	849.250
2.	चैनेज 60.705 पर	64.140
3.	चैनेज 75.200 पर	136.000
4.	चैनेज 85.100 पर	265.000
5.	चैनेज 93.200 पर	80.000
6.	चैनेज 93.400 पर	160.000
	कुल	**1554.400**

IndiaCode

(vii) संरचनाओं (60 मीटर से अधिक की लम्बाई >वाली) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रम संख्या	संरचना का अवस्थान	लम्बाई (मीटर)
1.	चैनेज 1.296 पर	97.370
2.	चैनेज 7.790 पर	99.230
3.	चैनेज 15.300 पर	62.600
4.	चैनेज 16.180 पर	89.700
5.	चैनेज 20.020 पर	77.900
	कुल	**426.800**

(2) उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपासों, जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक है, के उपयोग के लिए, उपर्युक्त सारणी–1 में उल्लिखित आधार दर के 150% की दर पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लम्बाई हेतु निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजाइन चैनेज)	डिजाइन चैनेज			बाइपास की लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	कुल लागत (करोड़ रुपए में)
	बाइपास का नाम	प्रारम्भ होकर	मिलते हुए		
मध्य प्रदेश राज्य में ग्वालियर जिले में मेहरा गांव के पास	ग्वालियर बाइपास	0.000 (रा.रा.–3 का विद्यमान 103.000 कि.मी.)	42.033 (रा.रा.–75 का विद्यमान 16 कि.मी.)	41.066 (>60 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली संरचनाओं को छोड़कर)	300.93
			कुल	41.066	

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2014–15 के लिए मासिक पास की दर 225.00 रूपए (दो सौ पच्चीस रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
प्चास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	50 (पचास) या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5 जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसे राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करने अथवा टोल प्लाजा पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा नहीं दिया जाए। नियम 4 के उप–नियम (2) के अधीन यांत्रिक वाहन के चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को यांत्रिक वाहनों की ऐसी श्रेणी के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा।

7. यांत्रिक वाहनों के श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियम में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी–1 में तथा 2 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना प्राधिकरण द्वारा की जाएगी प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रजी तथा स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा तथा तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 तथा रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार की गई वृद्धि की तारीख से 6 (छह) महीने की अवधि के भीतर कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

10. वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से परियोजना की अब तक वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत 1019.86 करोड़ रुपए (एक हजार उन्नीस करोड़ और छियासी लाख रुपए मात्र) है। वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से, टोल का संग्रहण रियायतग्राही द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008, जिसे सा. का. नि. 838 (अ) तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा बोली की नियत तारीख तक उसमें आगे किए गए संशोधन के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। जिस दिन पूंजीगत लागत की वसूली हो जाएगी उस दिन से लिए जाने वाले प्रयोक्ता शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा यदि किसी कारण से वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को 90 दिन तक पहले कर दिया जाता है/आगे बढ़ा दिया जाता है तो वसूल की जाने वाली पूंजीगत लागत का फिर से हिसाब लगाया जाएगा और इसके बारे में इंजीनियर/स्वंतत्र इंजीनियरों द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन की वास्तविक तारीख के बाद 30 दिनों के अन्दर रियायतग्राही को सूचित किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/सीओ/14–15/आगरा–ग्वालियर (8.00–103.00) और ग्वालियर बाइपास/ओएमटी]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2014

S.O. 3319(E).—Whereas by the following notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the following stretches of National highways in the States of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

NH No.	Section	Stretch from km to km	S.O. No.	Dated
3	Agra-Gwalior in the state of Uttar Pradesh	8.000-24.000	S.O. 196(E)	06.03.2000
3	Agra-UP/Rajasthan Border in the state of Uttar Pradesh	24.000-30.885	S.O. 1192(E)	03.12.2001
3	UP/Rajasthan Border-Dholpur	30.885-41.000	S.O. 1192(E)	03.12.2001
3	Agra-Dholpur in the state of Rajasthan	41.000-51.000	S.O. 196(E)	06.03.2000
3	UP/Rajasthan Border-Dholpur–Rajasthan/MP Border	51.000-60.000	S.O. 465(E)	26.04.2002
3	Agra-Gwalior (Chambal Border towards Morena) in the state of Madhya Pradesh	60.000-70.000	S.O. 196(E)	06.03.2000
3	Agra-Gwalior in the state of Madhya Pradesh	70.000- 103.000	S.O. 1192(E)	03.12.2001
75	Gwalior to MP/UP Border	0.000-90.00	S.O. 465(E)	26.04.2002
3	Gwalior-Dewas-Rau via Indore Bypass in the state of Madhya Pradesh	Km 103.000 to km 610.000 of Agra-Indore section km 0.000 at Agra and from km 0.000 to km 12.600 of Indore-Mumbai section	S.O. 910(E)	21.04.2010

IndiaCode

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) read with the Rule (3) of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government by following notifications of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for use of following four-laned sections:

Stretch	Section	S.O. No.	Dated
8.000-51.000 of NH-3	Agra-Dholpur in the state of Uttar Pradesh and Rajasthan	S.O. 2842(E)	06.12.2012
61.000-103.000 of NH-3	Morena-Gwalior in the state of Madhya Pradesh	S.O. 2843(E)	06.12.2012
Taking off at km 103.000 of NH-3 and joining at km 16.000 of NH-75	Gwalior Bypass in the state of Madhya Pradesh	S.O. 544(E)	06.03.2013

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement (hereinafter referred to as said agreement) on 28.10.2014 with M/s Agra-Gwalior Pathways Private Limited having its registered office at 76, Mall Road, Mhow-453441, Madhya Pradesh, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bids received on 11.04.2014, for the Operation and Maintenance of Agra-Gwalior section from km 8.000 to km 103.000 of NH-3 & Operation of toll plaza at km 32.607 for Gwalior Bypass section from km 0.000 (existing km 103.000 of NH-3) to km 42.033 (existing km 16 of NH-75) in the States of Uttar Pradesh, Rajasthan & Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the "said section") on Operation, Maintenance & Transfer (OMT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 1756(E) dated 12th October, 2011, G.S.R 778(E) dated 16th December, 2013 and G.S.R. 26(E) dated 16.01.2014 (hereinafter referred to as the "said Rules") and in supersession of the notification number S.O. 2842(E) dated 06.12.2012, S.O. No. 2843(E) dated 06.12.2012 & S.O. No. 544(E) dated 06.03.2013 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the authority and the concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of four-laned said section and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee for the use of the said section on and from the date of commercial operation declared by the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the said agreement;

TABLE-I

S. No.	**Type of vehicle**	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)	(3)
1	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3	Bus or Truck (Two Axles)	2.20
4	Three-axle commercial vehicles	2.40
5	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
6	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

IndiaCode

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the length of the section specified for such Toll Plaza, at 100% of the base rate mentioned in Table-I above:

S. No.	**Location of Toll Plaza**	**Chainage**	**Length (in km) for which Fee payable**			
			At Present		**After Completion [(i)]**	
			Road length (Excluding structures >60m length)	Equivalent Structure length [(ii)]	Road length (Excluding structures >60m length)	Equivalent Structure length [(ii)]
1.	At **Km. 28.600** (existing km 28.600) on NH-3, near Village Jajau in District Agra in the State of UP & Rajasthan.	Km. 8.000 to Km. 59.000	42.682	3.180 [(iii)]	49.407	15.935 [(iv)]
2	At **Km 84.000** (existing km 84.500) on NH-3, near Village Choundha in District Morena in the State of MP.	Km. 59.000 to Km. 103.000	41.359	6.410 [(v)]	42.446	15.544 [(vi)]
3	**At km 32.607 (existing km 32.607) of Gwalior Bypass**, near Village	0.000 (existing km 103.000 of NH-3) to km	0	4.268 [(vii)]	0	4.268 [(vii)]

S. No.	Location of Toll Plaza	Chainage	Length (in km) for which Fee payable			
			At Present		After Completion [(i)]	
			Road length (Excluding structures >60m length)	Equivalent Structure length [(ii)]	Road length (Excluding structures >60m length)	Equivalent Structure length [(ii)]
	Mehra in District Gwalior in the State of MP	42.033 (existing km 16 of NH-75)				

(i) After completion and handover of the Project stretch from Km 51.000 to Km 61.000 of NH-3 to the Concessionaire.

(ii) Equivalent Structure length is obtained by multiplying the length of structures (more than 60 m) by an equalization factor of 10.

(iii) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Length (m)
1.	at Ch. 17.400	99.000
2.	at Ch. 32.600	128.000
3.	at Ch. 25.800	91.000
	Total	**318.000**

(iv) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Length (m)
1.	at Ch. 17.400	99.000
2.	at Ch. 25.800	91.000
3.	at Ch. 32.600	128.000
4.	at Ch. 52.145	723.080
5.	at Ch. 54.520	347.380
6.	at Ch. 58.315	205.000
	Total	**1593.500**

(v) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Length (m)
1.	at Ch. 75.200	136.000
2.	at Ch. 85.100	265.000
3.	at Ch. 93.200	80.000
4.	at Ch. 93.400	160.000
	Total	**641.000**

(vi) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Length (m)
1.	at Ch. 59.095	849.250
2.	at Ch. 60.705	64.140
3.	at Ch. 75.200	136.000
4.	at Ch. 85.100	265.000
5.	at Ch. 93.200	80.000
6.	at Ch. 93.400	160.000
	Total	**1554.400**

IndiaCode

(vii) The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sl. No.	Location of Structure	Length (m)
1.	at Ch. 1.296	97.370
2.	at Ch. 7.790	99.230
3.	at Ch. 15.300	62.600
4.	at Ch. 16.180	89.700
5.	at Ch. 20.020	77.900
	Total	**426.800**

2. In additional to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass costing Rs. 10 crore or more, at the following Toll Plaza, at 150% times the base rate mentioned in Table-I above for the length of bypass specified for such Toll Plaza:

Location of Toll Plaza(s) (Design chainage)	Design Chainages			Length of bypass (in km.) for which additional fee is payable	Total Cost (Rs. in crore)
	Name of Bypass	Taking off at	Merging at		
At km. 32.607 (existing km 32.607), near Village Mehra in District Gwalior in the State of MP.	Gwalior Bypass	0.000 (existing km. 103.000 of NH-3)	42.033 (existing km. 16 of NH-75)	41.066 (Excluding structures >60m length)	300.93
			Total	**41.066**	

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 225.00 (Rupees Two Hundred and twenty five only) for the year 2014-15, which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	50 (Fifty) or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. A mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under sub-rule (2) of rule 4, shall not be permitted to use the National Highway or crossing the toll plaza until the excess load has been removed from such mechanical vehicle. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle shall be liable to pay fee, for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle under sub-rule (2) of Rule 4.

7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

9. Based on the base rate of fee per km. for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 & 2 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority. The same shall be got published by the Authority in at least one newspaper, each in English and vernacular language through the Concessionaire and thereafter revised annually in accordance with the

rule 5 of the said Rules and provisions of the Concession Agreement and will be published; provided, however, that such revision shall not be effected until a period of 6 (six) months from the date of preceding revision of fee.

10. The Capital Cost of the Project yet to be recovered from date of COD is Rs. 1019.86 Crore (Rupees One Thousand Nineteen Crores & Eighty Six Lakh only). From the Commercial Operations Date (COD) toll shall be collected by the Concessionaire at the applicable rates provided under National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and further amended till bid due date. After the day on which the capital cost is recovered, the user fee chargeable shall be reduced to 40 % of the rate being charged. In case, due to any reason, COD is advanced/postponed up to 90 days, the Capital Cost to be recovered shall be reworked and intimated to the Concessionaire within 30 days after actual COD, by the Engineer/Independent Engineers.

[F. No. NHAI/ CO/14-15/Agra-Gwalior (8.00-103.00) & Gwalior Bypass/OMT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.